न्यायालय सहायक कलक्टर (मु०) सीकर

उनवान हनुमान बगै बनाम जिलाकलक्टर आदि

मुकदमा नं. प्र०प० 212 का बिल 3/2025

8/4/25	पत्रावली पेश हुई। नकल अपील पत्र अ०। नकल प्राधिकारी की आदेश पत्र 212 का बिल प्रस्तुत हुई। पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश, पत्र अ० धारा 212 का बिल नियत 15/4/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर
15/4/25	पत्रावली वास्ते निर्णय आदेश पत्र अ० धारा 212 का बिल पेश हुई। अभिभाषक द्वय के तर्क सुने गए। रास/भू०प्रा० के प्रार्थी/प्रतिवादी सं० 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्र अ० आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 CPC स्वीकार किया जाकर वाद खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में इस आदेश पत्र अ० धारा 212 का बिल प्राधिकारी को आदेश पारित करने में कोई औचित्य नहीं है। अतः आदेश पत्र अ० धारा 212 का बिल प्राधिकारी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही आवश्यक अपील है। निर्णय आज नियत 15/4/2025 को सुनाया जाकर उपलब्ध कराया गया। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner